

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 109]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 14, 2016/पौष 24, 1937

No. 109]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 14, 2016/PAUSA 24, 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2016

का.आ.125(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 13 जनवरी, 2016 को उक्त अधिनियम की धारा 125 की उपधारा (5), उपधारा (6) (विनिधानकर्ता शिक्षा और सुरक्षा निधि के प्रशासन की रीति के बारे में छोड़कर) और उपधारा (7) के उपबंधों के प्रवृत्त होने की तारीख नियत करती है।

[फा.सं.5/27/2013-आईईपीएफ(पार्ट)]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2016

S.O. 125(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby appoints the 13th day of January, 2016 as the date on which the provisions of sub-section (5), sub-section (6) [except with respect to the manner of administration of the Investor Education and Protection Fund] and sub-section (7) of section 125 of the said Act shall come into force.

[F. No. 5/27/2013-IEPF (Part)]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

198 GI/2016